आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–25 / 2023	
20.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री महेश्वर उराँव एवं अन्य, ग्राम–लंका, पंचायत–रांकीकला, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में उपस्थित। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार ने लिखित एवं मौखिक रूप से आयोग को अवगत कराया है कि सभी शिकायतकर्ता को अनाज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शिकायतकर्ता ने भी इस आशय की पुष्टि की है। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि वे अपना राशन का उठाव कर लें। इस आशय के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। 20.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx85	